**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 641**

**17 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन**

**641.श्री विजय पाल सिंह तोमर:**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा युद्ध विराम का लगातार उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या संघर्ष विराम के इन उल्लंघनों के परिणाम के बारे में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान की सरकार को कोई संदेश भेजा गया है; और

(ग) क्या पाकिस्तान की सरकार ने भारत की सीमा पर ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई आश्वासन दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग): भारतीय सेना/सीमा सुरक्षा बल द्वारा युद्ध-विराम उल्लंघनों का यथापेक्षित उचित जवाब दिया गया है । इसके अलावा, युद्ध-विराम के सभी उल्लंघनों का मामला दोनों देशों के सैन्य ऑपरेशन महानिदेशालयों के बीच साप्ताहिक वार्ता के साथ-साथ हॉटलाइन, ध्वज बैठकों के सुस्थापित तंत्र के माध्यम से उचित स्तर पर पाकिस्तान के प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है । सीमा सुरक्षा बल भी अपने समकक्ष अर्थात् पाकिस्तानी रेंजरों के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ता आयोजित करती है ।

शिमला समझौता और लाहौर घोषणा में अंतर्निहित इसकी बाध्यताओं के कारण राजनयिक तौर पर तथा उच्चतम स्तर पर भी भारत ने बार-बार पाकिस्तान के लिए नियंत्रण रेखा तथा जम्मू और कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की पवित्रता बनाए रखने के संबंध में आवश्यकता पर बल दिया है ।

\*\*\*